न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/190

नाथू लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी तारेण तहसील दीगोद जिला कोटा।
---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नर्बदा बाई बेवा औंकार जाति चमार निवासी मोरिया तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद में प्रथम सेटलमेंट से पूर्व अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 846/32 की 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 460/33 की 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 479/281 की 05 बीघा व खसरा नम्बर 282 की 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि कान्हा के नाम दर्ज थी बाद में नर्बदा जोजे औंकार नाबालिग वली मु0 गोपाली वाल्दा खुद के नाम दर्ज हुई । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 90 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 1089 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1079/1239 की 0.39 हैक्टर कुल 03 किता की 2.98 हैक्टर कायम किये गये हैं । सवंत् 2009 के पूर्व से ही उक्त आराजी पर वादी के पिता रामचन्द्र व उनके भाई किशोर की पत्नी औंकारी बेवा किशोर का कब्जा काश्त चला आ रहा है । नकल जमाबन्दी संवत् 2009 से 2011 में वादी के पिता व औंकारी का नाम जैली के रूप में दर्ज है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादी के पिता रामचन्द्र व औंकारी बेवा किशोर का नाम जैली के स्थान पर बतौर रहन दर्ज है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादिनी क्रम 1 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते में दर्ज की जावे

तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द व रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करे और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कम 1 स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया के विरूद्ध नाथूलाल के द्वारा वाद पेश किया है जो विधि–विरूद्ध है वादी ने वाद तथ्य छुपाकर वाद पेश किया है । वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थिया के नाम नहीं है तथा कब्जा केता को संभला दिया है । प्रार्थिया के विरूद्ध जब भूमि नहीं है तो वाद चलने योग्य नहीं है । वादकारण, वाद तथ्य झूठा व मनगढंत पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.04.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.04.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिनी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 43 क – 4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 09.07.2015 को निर्णय करवा लिया । उक्त निर्णय की पालना में इंतकाल नं0 734 तस्दीक करवाया गया व उक्त गलत इंतकाल के द्वारा अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करवा लिया गया । उक्त अवैध अंकन के आधार उक्त प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर काफी समय से अपीलान्ट के पिता का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी द्वारा किये गये विकय को निरस्त कराये जाने हेतु एक अन्य वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 11.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 का दावा पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार कान्हा के खातेदारी में दर्ज थी । वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट के पूर्व से ही वादी के पिता रामचन्द्र और उनके भाई किशोर की बेवा औंकारी का कब्जा चला आ रहा है । जमाबन्दी में जैली के रूप में दर्ज है और वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–74 में रामचन्द्र व औंकारी का नाम बतौर राहिन दर्ज है । इस प्रकार इस आराजी पर वादी एवं उसके पिता का संत् 2009 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 1 का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादी कम 1 राजस्व

रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर उनको बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी किया गया था इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के द्वारा आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया इस प्रार्थना पत्र का बिना जवाब लिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट का दावा खारिज किया गया है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने एक दावा धारा 43 क–4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था और इस दावे का निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया निर्णय की पालना में अवैध रूप से इंतकाल संख्या 734 तस्दीक करवाया गया जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करवा दिया । विलोपन के उपरान्त अवैध रूप से बेचान कर दिया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने एडीजे क्रम 2 में सिविल दावा पेश कर रखा है । मौका रिपोर्ट पटवारी में अपीलान्ट का कब्जा स्पष्ट किया गया है । विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए दावा सिविल न्यायालय में लम्बित है । सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसा वाद जो बार्ड बाई लॉ **(barred by Law)** हो उसे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में खारिज किया जा सकता है अन्यथा जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए । एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसका निर्णय पारित नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलान्ट के पक्ष में जो आराजी रहन रखी गई थी उसे बागुजास्त करने का कोई दस्तावेज नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाइ जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । उन्होंने अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का दावा किया था जो माननीय राजस्व मण्डल तक उनके पक्ष में निर्णित हुआ है । इस निर्णय की अनुपालना में इजराय पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को कब्जा भी संभलाया गया । रेस्पोडेन्ट ने रहन के इन्द्राज को हटाने के लिए जो दावा पेश किया उसके आधार पर आराजी रहनमुक्त हो चुकी है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है जो राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जबकि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । इस कारण भी खातेदारी धारा 42 बी का उल्लंघन होने से नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट का सिविल न्यायालय में भी दावा जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज़ फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा प्रतिवादिनी के खिलाफ हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । वादी अनुसूचित जन जाति के सदस्य है और प्रतिवादिनी अनुसूचित जाति की सदस्य है । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर 65 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर कब्जे के आधार पर प्रतिकूल कब्जा बताते हुए अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है ।

11. पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश कर यह कथन किया था कि वादी ने तथ्य छुपाकर दावा पेश किया है वाद कारण प्रकट नहीं करता है । वर्तमान में प्रार्थिया प्रतिवादी के नाम भूमि नहीं है । कब्जा केता को संभला दिया है । प्रार्थिया के विरूद्ध जब भूमि नहीं है तो वाद चलने योग्य नहीं है । वादकारण व वाद तथ्य झूंठा है व मनगढंत/तथ्यहीन हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है ।

12. वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी 65 वर्षों से निरन्तरा कब्जे के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और प्रतिवादी कमं 1 अनुसूचित जाति की सदस्य है । धारा 42 बी के उल्लंघन में भी खातेदारी अधिकार वादी को प्रदत्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार वादी का वाद, वाद में अंकित तथ्यों के आधार पर बार्ड बाई लॉ (barred by Law) है । जहॉ तक अपीलान्ट का यह कथन कि आराजी उनके पास रहन रखी गई थी और रहन हटाने का दावा जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था उसमें वह पक्षकार नहीं थे । उस निर्णय के आधार पर उनके पक्ष में रहन का इन्द्राज गलत रूप से हटवाया है । इस कमं में अधीनस्थ न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु इस आधार पर उनका वर्तमान दावा जिसमें कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खाते की आराजी पर खातेदारी अधिकारों की प्रार्थना की गई है चलने योग्य नहीं है ।

13. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उनका कब्जा बताया है परन्तु इस विषय में पूर्व में ही विवेचन एवं विश्लेषण किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी कमं 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/190

नाथू लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी तारेण तहसील दीगोद जिला कोटा।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती नर्बदा बाई बेवा औंकार जाति चमार निवासी मोरिया तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 03/दावा/2016

नाथू लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी तारेण तहसील दीगोद जिला कोटा।

——वादी

बनाम

1. श्रीमती नर्बदा बाई बेवा औंकार जाति चमार निवासी मोरिया तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 19.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

19/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा